अवैध उत्खनन विभागीय कार्यों में असंवेदनशीलता या फिर सोची समझी सुनियोजित साजिश!

बुढार रेंजर सलीम खान की दोहरी कार्यवाही सवालों के घेरे में!

प्रदीप शर्मा

नवभारत, धनपुरी बुढार। शहडोल में रेत का अवैध कारोबार चरम पर है बिना रॉयल्टी के बड़ी मात्रा में सुनहरी रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन सुचारू रूप से अनवरत जारी है किंतु वैध रेत पर वन विभाग बुढार की दोहरी कार्यवाही और संबंधित मामले में गहरी अनियमितताएं लगातार वनविभाग अमले के ऊपर कई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रही है मामला है धनपुरी निवासी बृजेश कुमार मिश्रा से संबंधित जब उनकी गाड़ी दिनांक 21 सितंबर 2024 को वन विभाग बुढार बीट धनपुरी क्षेत्र अंतर्गत रेत का वैध परिवहन करते हुए पकड़ाई वन विभाग धनपुरी के तत्कालीन बीट प्रभारी कोमल वर्मा और उनकी टीम में मौजूद वनरक्षक चंद्रकुमार पटेल जय प्रकाश मौर्य बद्री प्रसाद पांडे सैफुल्लाह खालिद अंसारी

सुरेश बैगा दया नारायण द्विवेदी एवं आलोक मिश्रा इनके द्वारा बृजेश कुमार मिश्रा के वाहन क्रमांक एमपी 18 1350 को इमामबाड़ा के समीप बद्री गुप्ता नाम के व्यक्ति की दुकान के समक्ष रोका जाता है वाहन चालक के द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद रेत की रॉयल्टी भी दिखाई जाती है लेकिन तत्कालीन बीट प्रभारी के द्वारा कोमल वर्मा के द्वारा दस्तावेजों का बिना सत्यापन किए अमान्य बताते हुए वन अधिनियम की धारा 837 के तहत मौके पर ही पंचनामा तैयार किया गया और डग्गी को अपनी अभिरक्षा में लेकर चालानी कार्यवाही सुनिश्चित की गई थी लेकिन यहां तक भी सब ठीक था वन विभाग रेंजर सलीम खान के द्वारा एक गाड़ी में दो प्रकार की वैधानिक कार्यवाही कैसे सुनिश्चित की गई बड़ा सवाल है!

इस मामले में प्रार्थी बृजेश कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखते हुए बात स्पष्ट की है की जब वन विभाग अमले ने गाड़ी 21 सितंबर 2024 को धनपुरी में अपनी अभिरक्षा में ली और मौके पर पंचनामा बनाया गया तब वन अधिनियम की धारा 837 के तहत कार्यवाही का प्रतिवेदन तैयार किया गया और वाहन मालिक को इसकी जानकारी दी गई किंतु 21 सितंबर से 24 सितंबर के मध्य गाड़ी पर हुई कार्यवाही 837 धारा के तहत ही माननीय न्यायलय में पेश किया गया किंतु ठीक इसके बाद धारा 833 प्रगट होती है और उसी वाहन को राजसाज करने की प्रक्रिया शुरू कर संबंधित वाहन एमपी 18/1350 को राजसाज़ कर लिया जाता है

बुढार रेंजर सलीम खान का ज्ञान बौना या बृजेश मिश्रा को गुमराह कर माननीय अपर सत्र न्यायालय बुढार को भी लगा दिया चूना! बृजेश कुमार मिश्रा ने यह बात स्वीकार की है की मेरी गाड़ी में जो रेत थी वह वैध थी ट्रैक्टर से परिवहन करना गलत था कार्यवाही 837 धारा के तहत तर्कसंगत थी न्यायोचित थी किंतु मुझे गुमराह कर माननीय न्यायलय को भी धोखा दिया गया न्यायलय के समक्ष जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए उनमें वाहन क्रमांक एमपी 18/1350 पर जो कार्यवाही सुनिश्चित की गई थी उसी आधार पर न्यायलय ने अपना निर्णय लिया किन्तु उसी वाहन से संबंधित अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद दोहरी कार्यवाही उक्त वाहन पर करते हुए 833 के तहत उसे राजसाज कर लिया गया अब बुढार रेंजर यह बताएं की आखिर एक वाहन जिसकी डायरी माननीय न्यायलय में पेश होती है 837 की धारा के तहत उसी वाहन को आपने 833 धारा के तहत कैसे राज साज किया साथ ही एक ही वाहन पर यह दोहरी कार्यवाही कैसे सुनिश्चित की गई बृजेश कुमार मिश्रा याने की प्रार्थी के विरुद्ध षड़यंत्र पूर्वक कार्यवाही की गई किंतु माननीय न्यायलय को भी इस मामले में क्यूं गुमराह किया गया आखिर बुढार रेंजर की क्या मंशा थी बुढार रेंजर के द्वारा भौतिक सत्यापन खुद क्यों नहीं किया गया क्यों संबंधित मामले की बारीकी से जांच करने के बजाय लीपापोती कर बृजेश कुमार मिश्रा के वाहन पर दोहरी कार्यवाही सुनिश्चित की गई बड़ा और गंभीर सवाल है ।

गोलीकांड के मुख्य आरोपी को पनाह देने वाले दो सहयोगी गिरफ्तार

▶ आरोपी को छिपाने और फरार कराने में मदद करने का आरोप

नवभारत,शहडोल। अमलाई थाना क्षेत्र में 13 जुलाई 2026 को एक दुकानदार पर गोली चलाकर गंभीर वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को पनाह देने और उसे फरार होने में मदद करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया है। वहीं गोलीकांड के मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

घटना के बाद पुलिस ने बढ़ाई निगरानी

पुलिस के अनुसार 13 जुलाई को आरोपी राजकुमार शर्मा द्वारा एक दुकानदार पर गोली चलाकर हमला किए जाने की गंभीर घटना सामने आई थी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशन में मुख्य आरोपी की तलाश तेज कर दी गई थी। साथ ही पुलिस द्वारा ऐसे लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही थी, जिन्होंने घटना के बाद आरोपी को छिपने या पुलिस से बचने में किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई हो। मामले की जांच और विवेचना के दौरान पुलिस के सामने यह तथ्य आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी को छिपाने तथा फरारी के दौरान सहायता उपलब्ध कराने में पवन मिश्रा और सीतेश सोनी की कथित भूमिका रही। इसके बाद अमलाई पुलिस ने दोनों संदिग्ध सहयोगियों की तलाश शुरू की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। अमलाई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम बैरिहा निवासी पवन मिश्रा पिता स्व. जुगुल किशोर मिश्रा उम्र 33 वर्ष तथा सोनी मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 02, थाना सोहागपुर निवासी सीतेश सोनी पिता स्व. राम प्रकाश सोनी उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफआवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस द्वारा मामले के मुख्य आरोपी राजकुमार शर्मा की लगातार तलाश की जा रही है। पुलिस टीम उसके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाने के साथ ही उसके संपर्क में रहने वाले लोगों पर भी नजर बनाए हुए है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी अमलाई एवं उनकी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही। पुलिस द्वारा मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है तथा मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पतासाजी की जा रही है।

▶ एक नजर में

जीआरपी ने महिला तस्कर को दबोचा

नवभारत,जबलपुर। रेलवे स्टेशन जबलपुर पर चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 3 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 स्थित लिफ्ट के पास संदिग्ध अवस्था में मिली 22 वर्षीय श्रीयंका बहेरा, निवासी कपिलेश्वर नगर, जिला बरगढ़ ओडिशा की वैधानिक तलाशी लेने पर उसके बैग से तीन पैकेटों में रखा गांजा मिला। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 1 लाख 4 हजार 300 रुपये बताई गई है। मामले में जीआरपी थाना जबलपुर में अपराध दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने प्रारंभिक रूप से बताया कि वह वलसाड़-पुरी एक्सप्रेस से ओडिशा से गांजा जबलपुर विक्रय के उद्देश्य से लाई थी। जीआरपी अब गांजा तस्करी के स्रोत तथा इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

एक दर्जन फरार अपराधी हुए ईनामी

नवभारत, जबलपुर। शहर के थानों में दर्ज अपराधों में लंबे समय से फरार चल रहे एक दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने ईनाम घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार माढ़ोताल थाने में दर्ज हत्या के प्रयास में फरार तीन अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर पांच-पांच हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा अधारताल थाने में दर्ज मारपीट के प्रकरण में फरार राजा ठाकुर पिता चरण सिंह ठाकुर 22 वर्ष निवासी निर्भयनगर कबीर कुटी अधारताल, बेलबाग थाने में दर्ज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रकरण में समीर वंशकार 18 वर्ष निवासी प्रेमसागर बेलबाग एवं एक अन्य प्रकरण में अंशू मराठा 20 वर्ष निवासी विद्यानगर घमापुर, अधारताल थाने में दर्ज अपराध में जसमीत सिंह 35 वर्ष, हरलीन सिंह 38 वर्ष दोनों निवासी आनंदनगर अधारताल, कोतवाली थाने में दर्ज दहेज एक्ट में बालकिशन उर्फबलराम अहिरवार 54 वर्ष निवासी कोतवाली, रांझी थाने में दर्ज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में विवेक कोल 25 वर्ष निवासी गांधी चौक मानेगांव रांझी पर चार-चार हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया।

कॉलेज में शुरू हुआ बीपीईएस पाठ्यक्रम

नवभारत,जयसिंहनगर। खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय जयसिंहनगर में अब बीपीईएस (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स) पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की पहल से शुरू हुए इस पाठ्यक्रम से क्षेत्र के विद्यार्थियों को खेल शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करने का स्थानीय स्तर पर अवसर मिल सकेगा।

अब खेल प्रतिभाओं को नहीं तलाशनी पड़ेगी दूसरे शहरों की राह

महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी दिलीप कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बीपीईएस पाठ्यक्रम संचालित किए जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पाठ्यक्रम के शुरू होने से खेल के प्रति रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को अब इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए अन्य स्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही उन्हें खेल शिक्षा और शारीरिक प्रशिक्षण से जुड़ी पढ़ाई करने का अवसर उपलब्ध होगा।

विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए अवसर

बीपीईएस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को खेल और फिटनेस के क्षेत्र में व्यावसायिक संभावनाओं को समझने तथा अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। खेल के प्रति जुनून रखने वाले युवाओं के लिए यह पाठ्यक्रम शिक्षा के साथ-साथ भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में भी उपयोगी साबित हो सकता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी एवं क्रीड़ा अधिकारी दिलीप कुमार शुक्ला ने क्षेत्र के इच्छुक छात्र-छात्राओं से अपील की है कि वे बीपीईएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीयन कराकर प्रवेश लें और खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने भविष्य को नई दिशा दें।

भगवान भोलेनाथ की शोभायात्रा से होगा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण

▶ अगस्त को निकलेगी कलश एवं शोभायात्रा, आकर्षक झांकियां रहेंगी आकर्षण का केंद्र

नवभारत,धनपुरी। नगर में सावन माह के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ की आराधना को समर्पित पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं शिव पुराण महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन का शुभारंभ शनिवार, 1 अगस्त 2026 को भगवान शिव की भव्य शोभायात्रा एवं कलश यात्रा के साथ होगा। आयोजन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शोभायात्रा सायं 4:00 बजे श्री राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर मां ज्वालामुखी मंदिर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु पवित्र जल भरेंगे। इसके पश्चात यात्रा पुन: श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंचेगी, जहां से आगामी धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ किया जाएगा। शोभायात्रा में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। विशेष रूप से बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान शिव एवं अन्य देवी-देवताओं की मनमोहक एवं आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। यात्रा के दौरान पूरा वातावरण 'हर-हर महादेव' और '?नम: शिवाय' के जयघोष से गूंज उठेगा। श्रद्धालु भक्ति-भाव से भगवान भोलेनाथ के भजन गाते हुए एवं शिव नाम का जाप करते हुए शोभायात्रा में शामिल होंगे। आयोजन समिति ने नगरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।

आयोजन के दूसरे दिन रविवार, 2 अगस्त से पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं भगवान शिव का जलाभिषेक प्रारंभ होगा। यह कार्यक्रम प्रतिदिन प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पार्थिव शिवलिंग निर्माण हेतु आवश्यक पवित्र मिट्टी एवं अन्य सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं उसका विधिवत पूजन और जलाभिषेक भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। इसी उद्देश्य से प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अनुष्ठान में भाग लेंगे। जलाभिषेक के पश्चात आयोजन स्थल पर प्रतिदिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। समिति ने सभी भक्तों से परिवार सहित उपस्थित होकर भगवान शिव की आराधना में सहभागी बनने का आग्रह किया है।

नशे से दूरी है जरूरी, कर्मचारियों ने ली नशामुक्ति की शपथ

▶ नगर पालिका सभागार में कर्मचारियों को किया गया जागरूक

नवभारत,धनपुरी। समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने और युवाओं सहित आमजन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से धनपुरी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत मंगलवार को नगर पालिका परिषद धनपुरी के सभागार में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लेकर नशे के दुष्प्रभावों को समझा तथा नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के प्रति जागरूक करना था। धनपुरी पुलिस द्वारा अभियान के माध्यम से लगातार विभिन्न शासकीय संस्थानों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर नागरिकों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिका सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों को नशे के दुष्परिणामों की विस्तार से जानकारी दी गई।

नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रविंदर कौर छाबड़ा ने उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि नशे की लत से व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होने के साथ मानसिक तनाव, अवसाद और कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी लगातार बिगड़ती है, जिससे परिवार में तनाव, विवाद और सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशे के कारण कई परिवार टूट जाते हैं और युवा अपना भविष्य अंधकारमय बना लेते हैं।

सूरज इंस्टीट्यूट ने शुरू किया नि:शुल्क नवोदय विशेष बैच

नवभारत,गोहपारू । ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा की गुणवत्तापूर्ण तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूरज इंस्टीट्यूट गोहपारू द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 की तैयारी के लिए 100 प्रतिशत नि:शुल्क नवोदय विशेष बैच का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष गोहपारू राजीव शर्मा (अन्नू जी) रहे।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित रहे। संस्थान द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 30 मेधावी विद्यार्थियों का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा नियमित कक्षाओं के साथ अध्ययन सामग्री, मॉडल टेस्ट एवं व्यक्तिगत शैक्षणिक मार्गदर्शन पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।संस्थान के निदेशक सूरज मिश्रा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई प्रतिभावान विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण तैयारी से वंचित रह जाते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा यह सामाजिक पहल शुरू की गई है, ताकि क्षेत्र के होनहार विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकें। मुख्य अतिथि राजीव शर्मा ने सूरज इंस्टीट्यूट की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

एपीके फाईल डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 51 हजार

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत धनी की कुटिया निवासी एक युवती साइबर ठग के जाल में फंस गई। युवती के खाते से 51 हजार रूपए निकाल लिए गए। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक सोमवार को कनक खेमचंदानी 44 वर्ष निवासी धनी की कुटिया रोड अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसने अपने मोबाईल से डॉक्टर की अपार्टमेंट के लिये मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो मोबाईल धारक ने मरीज की जानकारी मांगी तो उसने जानकारी दी तो उक्त मोबाईल

धारक ने बताया कि आपका नम्बर कल के लिये बुक किया गया एक वाट्सअप पर फाईल भेज रहा हूं उसे खोलकर मरीज की डिटेल चैक कर लीजिये, उसने खोलकर चैक किया जिसमे मरीज की डिटेल लिखी थी, पारिवारिक कारणों के कारण डाक्टर के यहां नहीं जा पायी। इस बीच उसके खाते से कुल 51 हजार 699 रूपये निकल लिए गए । उसने बैंक जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि उसका पैसे एपीके फाईल डाउनलोड करने के कारण निकाले गए है।

महिला के खाते से निकले 25 हजार

बरेला थाने में पिंकी बर्मन निवासी अनूप विहार गौर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि कोई अज्ञात व्यक्ति ने किसी और का रूप धारण करते हुये 25 हजार रूपये की उसके साथ ऑनलाइन ठगी की है।

16 साल बाद घर लौटा लापता बेटा, माता-पिता की आंखों से छलके खुशी के आंसू

▶ पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से सकुशल खोज निकाला

नवभारत,शहडोल। कहते हैं कि उम्मीद अगर जिंदा हो तो इंतजार कितना भी लंबा क्यों न हो, एक दिन खुशी का पल जरूर आता है। ऐसा ही भावुक कर देने वाला पल उस समय सामने आया, जब करीब 16 वर्षों से अपने बेटे की तलाश में भटक रहे माता-पिता को उनका लापता बेटा सकुशल वापस मिल गया। वर्षों से बिछड़े परिवार को मिलाने में गोहपारू पुलिस की लगातार मेहनत रंग लाई।

2010 में अचानक गायब हो गया था 15 वर्षीय किशोर

पुलिस के अनुसार वर्ष 2010 में लगभग 15 वर्ष की उम्र में एक बालक अचानक लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो मामले में थाना गोहपारू में अपराध क्रमांक 435ध्2014 के तहत धारा 363 भारतीय दंड संहिता में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। इसके बाद से पुलिस द्वारा लगातार बालक की तलाश के प्रयास किए जाते रहे। मामला पुराना होने के बावजूद पुलिस ने अपहृत बालक की तलाश बंद नहीं की। समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से उसके संबंध में जानकारी जुटाई जाती रही। पुलिस अधीक्षक शहडोल डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने जिले में लंबित गुम इंसान और अपहरण के मामलों में प्रभावी पतासाजी कर दस्तयाबी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसी दिशा में गोहपारू पुलिस ने पुराने प्रकरण की दोबारा गंभीरता से पड़ताल शुरू की।

पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र से प्राप्त जानकारी और अन्य उपलब्ध तथ्यों को आधार बनाकर लगातार जांच आगे बढ़ाई। लंबे समय तक किए गए प्रयासों के बाद पुलिस को आखिरकार सफलता मिली और करीब 16 वर्ष बाद लापता बालक को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया। दस्तयाब किए गए व्यक्ति की पहचान एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब माता-पिता ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा तो उनकी भावनाएं उमड़ पड़ीं।

अव्यवस्था दस-दस साल से फाइलों में कैद हैं जमीन के विवाद, न्याय की आस में तहसीलों के चक्कर काट रहे किसान

राजस्व अदालतों में फैसले का इंतजार करते बूढ़े हो गए फरियादी

सुनील मिश्रा

नवभारत, शहडोल । जमीन से जुड़ा कोई मामला यदि राजस्व न्यायालय की चौखट तक पहुंच जाए तो उसके जल्द निपटने की उम्मीद करना अब शायद आम आदमी की सबसे बड़ी भूल बनती जा रही है। सीमांकन हो, बंटवारा हो या जमीन के स्वामित्व का विवाद-फाइल एक बार दफ्तर की अलमारी में पहुंच जाए तो उसके बाहर निकलने का इंतजार कई बार वर्षों तक चलता रहता है। इस बीच फरियादी तारीखों के फेर में उलझे रहते हैं और विवादित जमीन जस की तस खड़ी होकर व्यवस्था की सुस्ती का मूक तमाशा देखती रहती है।राजस्व न्यायालयों और तहसील कार्यालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या अब केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रही, बल्कि यह आम लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ रही है। भूमि विवाद, सीमांकन, बंटवारा और नामांतरण जैसे मामले यदि समय रहते निपटा दिए जाएं तो

कई बड़े विवादों को जन्म लेने से रोका जा सकता है। लेकिन वर्षों तक मामलों के लंबित रहने से छोटे-छोटे विवाद धीरे-धीरे गंभीर रूप लेते जा रहे हैं और कई बार खेत की मेड़ से शुरू हुआ विवाद हिंसा तक पहुंच जाता है।

फैसले की आस में हर तारीख पर पहुंचते हैं फरियादी

जिले के किसी एक तहसील कार्यालय की बात करना इस समस्या को सीमित करना होगा। लगभग सभी तहसील मुख्यालयों में पुराने राजस्व प्रकरणों का अंबार लगा हुआ है। अपनी जमीन से जुड़े मामलों में न्याय की उम्मीद लेकर ग्रामीण और किसान बार-बार राजस्व न्यायालय पहुंचते हैं। सुनवाई की तारीख आती है, पक्षकार पहुंचते हैं और फिर अगली तारीख मिल जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में वर्षों गुजर जाते हैं, लेकिन विवाद का समाधान सामने नहीं आता।

फाइलें बढ़ती रहीं, उम्र घटती रही

सबसे अधिक परेशानी उन बुजुर्ग पक्षकारों को हो रही है, जिनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय अपने ही हक की जमीन के लिए न्यायालयों की चौखट पर बीत रहा है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं, जो वर्षों से अपने मामले के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उम्र बढ़ने के साथ उनकी शारीरिक क्षमता भले ही कम हो गई हो, लेकिन न्याय की उम्मीद उन्हें आज भी तहसील और राजस्व न्यायालय तक खींच लाती है।

कागजों पर विवाद छोटा, जमीन पर बन जाता है बड़ा

राजस्व मामलों के निस्तारण में होने वाली देरी का असर केवल सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहता। वर्षों तक भूमि विवाद का समाधान नहीं होने पर पक्षकारों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। खेत की मेड़, रास्ते या सीमांकन का छोटा विवाद जब लंबे समय तक अनसुलझा रहता है तो वह आपसी दुश्मनी का रूप ले सकता है। कई मामलों में यही विवाद मारपीट और खूनी संघर्ष में बदल चुके हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है।

दस साल पुरानी फाइलें पूछ रही हैं अब तो फैसला होगा

जिले में ऐसे अनेक राजस्व प्रकरण बताए जाते हैं, जो एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं। इन मामलों के पक्षकारों के लिए हर नई तारीख एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन कई बार वह उम्मीद फिर अगली तारीख में बदल जाती है। सवाल यह है कि जिस मामले का फैसला वर्षों में नहीं हो सका, उसमें न्याय पाने की उम्मीद लेकर आने वाला आम नागरिक आखिर कब तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहेगा। व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारियों को शायद एक बार उन बुजुर्गों के चेहरों को गौर से देखना चाहिए, जो अपनी जमीन के अधिकार के लिए उम्र के इस पड़ाव पर भी न्यायालय पहुंचने को मजबूर हैं। क्या इन चेहरों में उन्हें अपने माता-पिता की झलक दिखाई नहीं देती? क्या वे कल्पना कर सकते हैं कि यदि उनके अपने माता-पिता वर्षों तक एक छोटे से भूमि विवाद के समाधान के लिए दफ्तरों और अदालतों के चक्कर लगाते रहें तो उन्हें कैसा लगेगा।

तारीखों की जगह फैसले चाहिए

इस खबर का उद्देश्य किसी अधिकारी विशेष को कठघरे में खड़ा करना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को आईना दिखाना है, जहां न्याय की प्रतीक्षा में एक पीढ़ी गुजरने की स्थिति बन रही है। राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण न केवल आम नागरिक को राहत देगा, बल्कि भूमि विवादों से उपजने वाले सामाजिक तनाव और हिंसा को भी रोकने में मददगार साबित हो सकता है।अब देखना यह है कि वर्षों से लंबित राजस्व प्रकरणों की फाइलों पर जमी धूल कब हटेगी और फरियादियों को अगली तारीख के बजाय अंतिम फैसला कब मिलेगा। क्योंकि किसान और आम नागरिक को तारीखों का सिलसिला नहीं, अपने हक का फैसला चाहिए।

मारपीट कर चाकूबाजी करने वाले को कोर्ट उठने तक की सजा

नवभारत,जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ऋचा बठेजा की अदालत ने मारपीट कर चाकू से हमला करने वाले आरोपी सद्दाम राईन को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अदालत को अभियोजन पक्ष ओर से एडीपीओं अजीता सिंह ने बताया कि 21 अगस्त 2016 की रात्रि पौने ग्यारह बजे फरियादी वसीम डांगर अपने मोहल्ले के चारखम्बा क्षेत्र में खड़ा था।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंदिरा गांधी गृहविज्ञान कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

क्रमांक /1855/2026 शहडोल, दिनांक- 21/07/2026

निविदा आमंत्रण

इस महाविद्यालय में आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था (5551) योजना अंतर्गत आईटी सामग्री क्रय हेतु GEM Portal के माध्यम से निविदा जारी की गई है। जिसकी निविदा क्रमांक GEM/2026/5/7798404. है। इच्छुक निविदाकार GEM Portal पर अपनी निविदा दिनांक 06/08/2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्राचार्य
शासकीय इंदिरा गांधी गृहविज्ञान
कन्या महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)